[16/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1743]

विधानसभा षोडश (द्वितीय) सत्र 2024
तारांकित प्रश्न क्रमांक–1743
परिशिष्ट–''अ''

दिनांक 16/10/2021 को फरियादी पुनीत सिंह पिता श्री रावेन्द्र सिंह उम्र 39 वर्ष टीकर हाउस सिंहपुर रोड नागौद थाना नागौद की रिपोर्ट पर थाना कोलगंवा में अपराध क्रं. 1276/21 धारा 294, 327, 506, 34 ता.हि. के आरोपी अज्जू सोनी एवं 03–04 अन्य के विरूद्ध कायम कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान प्रकरण में डॉ. संजय माहेश्वरी की मेडिकल रिपोर्ट एवं मजरूबों की एक्स–रे रिपोर्ट में फ्रैक्चर लेख होने से धारा 307, 325 ता.हि. का इजाफा किया गया है।

आरोपी (1) अजय उर्फ अज्जू सोनी पिता विजय प्रसाद सोनी उम्र 28 वर्ष निवासी जे.आर. बिरला रोड गली नम्बर 2 थाना कोलगवाँ जिला सतना को दिनांक 23/11/21 को गिरफ्तार किया जाकर चालान क्रमांक 159/2022 दिनांक 17/02/2022 को तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपियों (2) वरूण मिश्रा उर्फ छोटू पिता प्रदीप मिश्रा उम्र 31 वर्ष निवासी सिद्धार्थ नगर राजा आटा चक्की के पास थाना कोलगवां जिला सतना को दिनांक 26/05/2022 को गिरफ्तार किया जाकर पूरक चालान क्रमांक 159–ए/2022 दिनांक 17/06/2022 (3) विनय उर्फ धीरू सिंह पिता सत्यनारायण सिंह उम्र 34 वर्ष नि० भरहुत नगर क्राईस्टज्योति स्कूल के पीछे थाना कोलगवां जिला सतना (म0प्र0) को दिनांक 05/06/2023 को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में फरार आरोपी अतुल तिवारी, विनोद सिंह पटेल एवं आशू उर्फ अशोक यादव के विरूद्ध धारा 173(8) जा. फौ. के तहत अनुसंधान जारी रखते हुये पूरक चालान क्रमांक 159–बी/2023 दिनांक 01.09.2023 को तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी (4) अतुल तिवारी पिता रामाश्रय तिवारी उम्र 30 वर्ष नि० गोलहटा थाना कोटर जिला सतना को दिनांक 12/09/2023 को गिरफ्तार किया जाकर पूरक चालान क्रमांक 159–सी/2023 दिनांक 12.10.2023 को तैयार किया जाकर धारा 173(8) जा.फौ. के तहत अनुसंधान जारी रखते हुये, चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी (1) विनोद सिंह पटेल पिता रामकिशोर पटेल उम्र 37 साल निवासी नई बस्ती थाना कोलगंवा जिला सतना, (2) आशू उर्फ अशोक यादव, पिता गोरेलाल यादव उम्र 33 वर्ष निवासी कोलगंवा जिला सतना, घटना दिनांक से फरार है जिनकी गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किये गये, दस्तयाब न होने पर माननीय न्यायालय से धारा 73 जा०फौ० के तहत वारंट जारी कराया गया है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

विधानसभा षोडश (द्वितीय) सत्र 2024
तारांकित प्रश्न कमांक–1743
परिशिष्ट–"ब"

जी हॉं, फरियादी पुनीत सिंह पिता श्री रावेन्द्र सिंह उम्र 39 वर्ष टीकर हाउस सिंहपुर रोड नागौद थाना नागौद की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी है, तथा प्रकरण में आये साक्ष्यों के आधार पर धारायें बढ़ाई जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 173(8) जा.फौ. में अनुसंधान जारी रखते हुये आरोपी (1) विनोद सिंह पटेल (2) आशू उर्फ अशोक यादव घटना दिनांक से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किये गये हैं। दस्तयाब न होने पर माननीय न्यायालय से धारा 73 जा0 फौ0 के तहत वारंट जारी कराया गया है। यह कहना सही नही है कि, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और न ही अपराधियों को किसी पुलिस अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। प्रकरण में पुलिस द्वारा 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है, एवं अन्य शेष दो आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

विधानसभा षोडश (द्वितीय) सत्र 2024
तारांकित प्रश्न कमांक–1743
परिशिष्ट–''स''

थाना कोलगवां द्वारा अपराध क्रमांक 1276/2021 में आरोपी (1) अजय उर्फ अज्जू सोनी पिता विजय प्रसाद सोनी उम्र 28 वर्ष निवासी जे.आर. बिरला रोड गली नम्बर 2 थाना कोलगवाँ जिला सतना को दिनांक 23/11/21 को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 21/07/2022 को 01 लाख रूपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत प्रदाय की गई है, (2) वरूण मिश्रा उर्फ छोटू पिता प्रदीप मिश्रा उम्र 31 वर्ष नि0 सिद्धार्थ नगर राजा आटा चक्की के पास थांना कोलगवां जिला सतना को दिनांक 26/05/2022 को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 26/06/2022 को 01 लाख रूपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत प्रदाय की गई है, (3) विनय उर्फ धीरू सिंह पिता सत्यनारायण सिंह उम्र 34 वर्ष नि० भरहुत नगर क्राईस्टज्योति स्कूल के पीछे थाना कोलगवां जिला सतना (म०प्र०) को दिनांक 05/06/2023 को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 13/10/2023 को 01 लाख रूपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत प्रदाय की गई है। (4) अतुल तिवारी पिता रामाश्रय तिवारी उम्र 30 वर्ष नि0 गोलहटा थाना कोटर जिला सतना (म०प्र०) को दिनांक 12/09/2023 को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 27/10/2023 को 01 लाख रूपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत प्रदाय की गई है, एवं आरोपी (1) विनोद सिंह पटेल (2) आशू उर्फ अशोक यादव की गिरफ्तारी होना शेष है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner